फैक्स / डाक

पत्रांक– खा०आ०प्र० 05 / कोर्ट–1 / 2016 2086

झारखण्ड सरकार

खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग

प्रेषक,

विनय कुमार चौबे,
सरकार के सचिव।

सेवा में,

संयुक्त सचिव,
भारत सरकार,
उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय,
खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग,
कृषि भवन, नई दिल्ली।

/ राँची, दिनांक– 31.05.16

विषयः– **Writ Petition (C) No. 857/2015 स्वराज अभियान बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित न्यायादेश के आलोक में खाद्यान्न आवंटित करने के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि Writ Petition (C) No. 857/2015 स्वराज अभियान बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य के मामले में दिनांक 11.05.2016 को पारित न्यायादेश में सुखा प्रभावित क्षेत्रों के सभी परिवारों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के प्रावधानों के आलोक में खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाना है।

वर्तमान में सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य को सुखाग्रस्त घोषित किया गया है। विदित हो कि राज्य में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत 2,33,40,832 व्यक्तियों को खाद्यान्न आवंटित की जा रही है। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की कुल जनसंख्या 3,29,88,134 है। इस प्रकार शेष 96,47,302 व्यक्तियों को 5 किलोग्राम खाद्यान्न प्रतिमाह प्रति व्यक्ति की दर से खाद्यान्न वितरित करने हेतु 48236.51 मे० टन खाद्यान्न की आवश्यकता है।

यहाँ यह उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत राज्य के ग्रामीण जनसंख्या का 86.48 प्रतिशत एवं शहरी जनसंख्या का 60.20 प्रतिशत व्यक्तियों को आच्छादित किया जाना है। उक्त के आलोक में अधिनियम के अन्तर्गत 2,64,43,330 व्यक्तियों को आच्छादित किये जाने का लक्ष्य है। वर्तमान में इस अधिनियम के अन्तर्गत 2,33,40,832 व्यक्तियों को आच्छादित किया जा चुका है एवं शेष व्यक्तियों को आच्छादित किये जाने के संबंध में आवेदन पत्र प्राप्त कर सत्यापन / जाँच करते हुए चयनित लाभुकों के अंकीकरण का कार्य किया जा रहा है। अंकीकरण के पश्चात् लाभुकों को राशन कार्ड निर्गत करते हुए खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाना है। ऐसी स्थिति में नव चयनित लाभुकों के लिए सुखाड़ मद से प्राप्त खाद्यान्न के अंश को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम मद में सभायोजित कर लिया जायेगा।

अतः अनुरोध है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आलोक में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत लाभ पा रहे लाभुकों को छोड़कर राज्य के अन्य सभी व्यक्तियों को 5 किलोग्राम खाद्यान्न प्रतिमाह प्रति सदस्य की दर से वितरित करने हेतु 48236.51 मे० टन खाद्यान्न मासिक रूप से आवंटित करने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन,

30/5/16

(विनय कुमार चौबे),
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक– खा०आ०प्र० 05 / कोर्ट–1 / 2016 2086 / राँची, दिनांक– 31.05.16

प्रतिलिपि– निदेशक, खाद्य एवं उपभोक्ता मामले निदेशालय, झारखण्ड, राँची / माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

30/5/16

सरकार के सचिव ।

स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर